<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद संख्या–136/2006</u>

गणेश तिवारी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 दीपक्षरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>27.01.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से दिनांक 03.02.2020 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, किन्तु मौखिक विरोध किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण को जानकारी हुई कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या–4 की मृत्यु दिनांक 10.01.2020 को हो गई थी लेकिन जाँच पड़ताल करने पर पता चला कि उक्त प्रतिवादी की मृत्यु दिसम्बर 2018 में हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित वारिसानों को छोड़ गई है, जो कि प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–4 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि उक्त प्रतिस्थापना आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किया गया है तथा प्रस्तुत वाद उपसमित हो गया है तथा उसके लिए कोई आवेदन भी दाखिल नहीं किया गया है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–4 की मृत्यु हो चूकी है। प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी संख्या–4 की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रस्तुत आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत भी आवेदन दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन 500 रू. हर्जे पर न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–4 का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। साथ ही यदि कोई उपसन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। तद्पश्चात प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 24.02.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)